भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1735
दिनांक 05 दिसंबर, 2024

तेल अन्वेषण और उत्पादन का महत्व

†1735. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे :
श्रीमती भारती पारधी:
श्री धर्मेन्द यादव:
श्री अरविंद गणपत सावंत:
श्री खगेन मुर्मु:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और सतत आर्थिक विकास में अन्वेषण एवं उत्पादन (ई एंड पी) क्षेत्र का क्या महत्व है;
(ख) देश में तेल अन्वेषण और वर्तमान तेल उत्पादन का भविष्य क्या है;
(ग) देश में अनुमानत: तेल की कितनी मांग है और पेट्रोल की कितनी उपलब्धता है;
(घ) इंडियन ऑयल का पूर्वानुमान क्या है और अन्वेषण कार्यकलापों की गति में तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ड.) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आरंभ की गई तेल और गैस की चालू परियोजनाओं की समीक्षा की है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): ऊर्जा संस्थान विश्व ऊर्जा की सांख्यिकीय समीक्षा रिपोर्ट, 2024 के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उर्जा उपभोक्ता है। इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, परिवहन की ज़रूरतें, बुनियादी ढाँचा विकास, बढ़ती आय, बेहतर जीवन स्तर, आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच में वृद्धि के साथ-साथ निजी खपत और सकल स्थिर पूंजी निर्माण आदि में वृद्धि के माध्यम से सतत आर्थिक विकास के कारण भारत की ऊर्जा खपत लगातार बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल का आयात बढ़ रहा है। वर्तमान में घरेलू रूप से लगभग ~13% तेल और ~53% गैस का उत्पादन ईएंडपी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। अन्वेषण तथा उत्पादन (ईएंडपी) विभिन्न कार्यतंत्रों के माध्यम से आयातित तेल और गैस पर देश की निर्भरता को कम करने में योगदान प्रदान करता है। वर्ष 2023-24 के दौरान 29.36 एमएमटी कच्चे तेल के उत्पादन की

तुलना में चालू वर्ष 2024-25 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन 14.4 एमएमटी (अनंतिम रूप में) रहा। अंतरराष्ट्रीय उर्जा एजेंसी के अनुसार भारत में वर्ष 2030 तक तेल और गैस की अनुमानित मांग लगभग क्रमश: 6.6एमबी/डी (प्रतिदिन मिलियन बैरल)तथा 1.0 एमबी/डी होने की संभावना है ।

सरकार अन्वेषण सबंधी कार्यकलापों में तेजी लाने तथा घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित शामिल हैं:

i. हाइड्रोकार्बन खोजों के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए पीएससी व्यवस्था के तहत नीति, 2014
ii. खोजे गए छोटे क्षेत्र नीति, 2015
iii. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी), 2016
iv. पीएससीज के विस्तार के लिए नीति, 2016 और 2017
v. कोल बेड मीथेन के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए नीति, 2017
vi. राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी की स्थापना, 2017
vii. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम, 2017 के तहत तलछटी बेसिन में गैर-मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन
viii. पूर्व-नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (प्री-एनईएलपी), 2016 और 2017 के तहत खोजे गए क्षेत्रों और अन्वेषण ब्लॉकों के लिए पीएससी के विस्तार के लिए नीति ढांचा
ix. तेल और गैस के लिए उन्नत रिकवरी विधियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की नीति, 2018
x. मौजूदा उत्पादन साझाकरण संविदाओं (पीएससी), कोल बेड मीथेन (सीबीएम) संविदाओं और नामांकन क्षेत्रों, 2018 के तहत अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिए नीति ढांचा
xi. प्राकृतिक गैस विपणन सुधार, 2020
xii. बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए श्रेणी **II** और **III** बेसिन के तहत ओएएलपी ब्लॉकों में चरण- **I** में कम रॉयल्टी दरें, शून्य राजस्व हिस्सेदारी (अप्रत्याशित लाभ तक) और कोई ड्रिलिंग प्रतिबद्धता नहीं
xiii. अपतटीय क्षेत्र में लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर (एसकेएम) **'**नो-गो**'** क्षेत्र को छोड़ना जो दशकों से अन्वेषण के लिए अवरुद्ध था।
xiv. सरकार भूमि और अपतटीय क्षेत्रों में भूकंपीय डेटा के अधिग्रहण और स्ट्रेटीग्राफिक कूपों की ड्रिलिंग के लिए लगभग 7500 करोड़ रुपये खर्च भी कर रही है, ताकि बोलीदाताओं को भारतीय तलछटी बेसिनों का गुणवत्तापूर्ण डेटा उपलब्ध कराया जा सके। सरकार ने भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से परे ऑनलैण्ड पर 20,000 एलकेएम और अपतटीय क्षेत्र में 30,000 एलकेएम के अतिरिक्त 2डी भूकंपीय डेटा के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।

(ङ) और (च): तेल और गैस सीपीएसई के पास अपनी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक मजबूत ऑनलाइन निगरानी प्रणाली है। सरकार ऑनलाइन परियोजना निगरानी पोर्टल (www.pariyojana.gov.in), आवधिक समीक्षा बैठकों और साइट दौरे के माध्यम से मुद्दों के समाधान के लिए समर्पित पर्यवेक्षण प्रदान करती है, जिससे परियोजनाएं समय पर पूरी हो पाने में सहायक हो जाती है। इसके अलावा, सरकार प्रगति और परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) की समीक्षा प्रणाली के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण अंतर-राज्यीय और अंतर-मंत्रालयी मुद्दों का शीघ्रता से समाधान सुनिश्चित करने हेतु सीपीएसई को सक्रिय रूप से सहयोग प्रदान करती है।

सरकार द्वारा सृजित परियोजना निगरानी के लिए परियोजना पोर्टल (www.pariyojana.gov.in) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 5.65 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृत परियोजना लागत के साथ 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत वाली कुल 145 परियोजनाएँ कार्यान्वित हो रही हैं । वर्ष 2014 से 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाली कुल 379 परियोजनाएँ जिनकी कुल लागत 4.86 लाख करोड़ रुपए है, पूरी कर ली गई हैं ।

****